प्रातःखबर

क के लिए कोटा
पेज-१०

गुवाहाटी, सोमवार, 1 जून 2015
विक्रम संवत 2072, शक 1937, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष-14

नहीं होगा महाविलय

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) ने मनाया कैपिटल मार्केट्स वीक

गुवाहाटी, ३१ मई (ख सं.)। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के तत्वावधान में कैपिटल मार्केट्स पर निवेशकों में जागरुकता लाने तथा बेहतर प्रशासनिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य सें देशभर में २५ से ३१ मई तक कैपिटल मार्केट्स (द इंजीन फॉर इकोनामिक ग्रोथ) शीर्षक थीम पर आईसीएसआई कैपिटल मार्केट्स मनाया गया। इसी कड़ी में गुवाहाटी में एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईसीएसआई के अध्यक्ष सीए अतुल एच मेहता ने अपने संबोधन ने कहा कि कंपनी सेक्रेट्री को एक समय सीमा के भीतर पेशांगत विकास करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोर्पोरेट मामले मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज की ओर से विशेषिकृत कर दिए सेक्रेटरियल स्टेंड्स स्तर पर संचालन मंडली (एसएस-१) की बैठक व आम बैठक (एसएस-२) को अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी अब गर्वनेंस प्रोफेशनल के रूप में जाने जाने लगे हैं तथा कोर्पोरेट बोर्डों को विभिन्न स्टेटेजिक, गर्वनेंस व कंप्लेएंस मामलों में मार्गदर्शक के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगे हैं। मेहता ने कहा कि सेबी एक्ट (एसईबीआई),१९९२ के अंतर्गत सेबी द्वारा जारी विभिन्न सुरक्षामूलक कानूनों यथा सिक्यूरिटीज कंट्रोक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, १९५६, डिपोजिटर्स एक्ट, १९९६, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस तथा इक्विटि के लिए स्टॉक एक्सेंज के लिस्टिंग एग्रिमेंट, आईडीआरओ के तहत कंपनी सेक्रेटरियों को कंपनियों का सत्यापन एवं प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

आईसीएसई के अध्यक्ष मेहता ने आगे कहा कि इंस्टीट्यूट के लिए जुलाई, २०१५ से ऐतिहासिक पल होगा कि यह विश्व का पहला ऐसा संस्थान है, जिसे सेक्रेटरियल स्टेंडर्ड प्रदान करने की क्षमता प्राप्त हुई है तथा भारत के आठ लाख कंपनियों को कंपनीज एक्ट, २०१३ के तहत सेक्रेटरियल स्टेंडर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा। मेहता ने सेक्रेटरियल ऑडिट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कंपनीज एक्ट, २०१३ के तहत अनुच्छेद १३४ के उप-अनुच्छेद (३) के नियमानुसार पूंजी ५० करोड़ या टर्न ओवर २५० करोड़ रुपए से अधिक होने वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी व पाब्लिक कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट देना अनिवार्य है। इस अवसर पर असम के मुख्य सचिव जीतेश खोसला (आईएएस) ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर आईसीएसआई को कैपिटल मार्केट्स वीक के आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कोर्पोरेट सेक्टर के लिए पूंजी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कैपिटल मार्केट्स उभरने की बात कही। उन्होंने इसे आर्थिक विकास के लिए साकारात्मक दिशा बतायी। उल्लेखनीय है कि आईसीएसआई क्षेत्रीय परिषदों व चेप्टरों की ओर से इस कैपिटल मार्केटस वीक के दौरान देशभर में विभिन्न शैक्षिक विकास कार्यक्रम, पैनेल डिस्काशन, व्याखानमाला, आपसी विचार-विर्मश आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आईसीएसआई की उपाध्यक्ष सीएस ममता बिनानी ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक विकास में कैपिटल मार्केट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं आईसीएसआई के ईआईआरसी के एनई चेप्टर के सचिव सीएस विवेक शर्मा ने कार्यक्रम में स्वागत भाषण दिया। आईसीएसआई के ईआईआरसी के एनई चेप्टर के चेयरमेन सीएस पंकज जैन भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस मौके पर शुभ्र भराली, सीए विकाश अग्रवाल, एसएम गुप्ता, सीएस सिद्धार्थ मुरारका व मलय विश्वास ने निर्धारित थीम पर अपने विचार व्यक्त किए।